भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1925
(11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण

1925. श्री राहुल कस्वां:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के लिए भूमि अधिग्रहण को शासित करने वाले मौजूदा प्रावधान क्या हैं;
(ख) उक्त योजना के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या सरकार का भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) उक्त बोर्ड को दिए जाने वाले प्रस्तावित उत्तरदायित्वों और शक्तियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क): प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत, इस योजना के प्रावधानों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि भूमिहीन लाभार्थी को सरकारी भूमि या सार्वजनिक भूमि (पंचायती सामान्य भूमि, सामुदायिक भूमि या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों से संबंधित भूमि) सहित किसी अन्य भूमि से भूमि उपलब्ध कराई जाए। चयनित भूमि के लिए, पर्याप्त बुनियादी ढांचा, जैसे बिजली, सड़क संपर्कता और पेयजल की उपलब्धता, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा सुनिश्चित की जा सकती हैं। भूमि राज्य का विषय है और राज्यों के भूमि अधिग्रहण मामलों में इस मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है।

(ख): पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पहचान किए गए 5,73,311 भूमिहीन लाभार्थियों में से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने केवल 3,60,837 (63%) लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराई है और कुल 2,12,474 (37%) भूमिहीन लाभार्थियों को पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मकानों के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की जानी है। इसका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): यह मंत्रालय शेष भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इस मामले को सक्रिय रूप से उठाता रहा है। इस मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं –

i. पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन की रूपरेखा (एफएफआई) में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निर्देश जारी करना ताकि भूमिहीन लाभार्थी के लिए सरकारी भूमि या सार्वजनिक भूमि (पंचायती सामान्य भूमि, सामुदायिक भूमि या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों से संबंधित भूमि) सहित किसी अन्य भूमि से भूमि का प्रावधान किया जा सके।
ii. पीएमएवाई-जी के तहत भूमिहीन लाभार्थियों के लिए भूमि के प्रावधान में तेजी लाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समीक्षा बैठकों में नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और दिनांक 05.09.2018, 04.01.2019, 16.09.2019, 20.07.2020, 16.11.2020, 09.04.2021, 30.04.2021, 31.01.2022, 16.06.2022, 25.11.2022, 06.12.2022, 30.12.2022 और 06.03.2025 को पत्र जारी किया जाना।
iii. नियमित निगरानी हेतु भूमिहीन लाभार्थियों का ब्यौरा दर्ज करने के लिए पीएमएवाई-जी के आवाससॉफ्ट-एमआईएस पर एक मॉड्यूल बनाया गया है।
iv. पीएमएवाई-जी के तहत, भूमिहीनता की समस्या से निपटने के लिए एक से अधिक पीएमएवाई-जी लाभार्थियों द्वारा एक से अधिक मंजिला घरों/बहुमंजिला भवनों के निर्माण पर कोई रोक नहीं है।
v. चूंकि भूमि राज्य का विषय है, इसलिए यह मंत्रालय इस मामले पर नीति बनाने की स्थिति में नहीं है। तथापि, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान इस मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पहले ही अनुरोध किया है कि वे संबंधित मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यबल (टॉस्क-फोर्स) गठित करें, जिसमें सचिव (राजस्व) और पीएमएवाई-जी से संबंधित विभाग के प्रभारी सचिव सदस्य होंगे।

यह मंत्रालय पीएमएवाई-जी के अगले चरण (2024-29) में सभी भूमिहीन लाभार्थियों के लिए भूमि के प्रावधान की निगरानी करेगा।

(घ): पीएमएवाई-जी के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की समस्याओं का समाधान करने के लिए पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ): प्रश्न नहीं उठता।

(च): प्रश्न नहीं उठता।

*****

अनुबंध

'पीएमएवाई-जी के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण' के संबंध में लोकसभा में दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1925 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पहचान किए गए, भूमि प्रदान किए गए/भूमि खरीदने के लिए सहायता प्रदान किए गए तथा जिन्हें सहायता प्रदान करना शेष है ऐसे भूमिहीन लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित भूमिहीन लाभार्थियों की संख्या	भूमिहीन लाभार्थियों की संख्या जिन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमि प्रदान की गई है/भूमि खरीदने के लिए सहायता प्रदान की गई है	भूमिहीन लाभार्थियों की संख्या जिन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अभी तक भूमि प्रदान नहीं की गई है/भूमि खरीदने के लिए सहायता प्रदान नहीं की गई है
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,192	652	540
2	आंध्र प्रदेश	1,908	1,900	8
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
4	असम	72,781	40,982	31,799
5	बिहार	22,977	11,884	11,093
6	छत्तीसगढ़	6,848	6,205	643
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0
8	गोवा	0	0	0
9	गुजरात	14,055	13,524	531
10	हरियाणा	0	0	0
11	हिमाचल प्रदेश	32	24	8
12	जम्मू एवं कश्मीर	3,621	477	3144
13	झारखंड	0	0	0
14	कर्नाटक	55,436	15,436	40,000
15	केरल	825	503	322
16	लद्दाख	0	0	0
17	लक्षद्वीप	0	0	0

18	मध्य प्रदेश	38,490	36,890	1,600
19	महाराष्ट्र	1,09,832	91,169	18,663
20	मणिपुर	0	0	0
21	मेघालय	1,492	639	853
22	मिजोरम	0	0	0
23	नागालैंड	0	0	0
24	ओडिशा	79,326	56,899	22,427
25	पंजाब	204	195	9
26	राजस्थान	55,722	54,641	1,081
27	सिक्किम	0	0	0
28	तमिलनाडु	98,904	21,406	77,498
29	त्रिपुरा	126	126	0
30	उत्तर प्रदेश	2,224	2,224	0
31	उत्तराखंड	2,001	1,321	680
32	पश्चिम बंगाल	5,315	3,740	1575
कुल(राष्ट्रीय)		**5,73,311**	**3,60,837**	**2,12,474**

*****